~~16078~~ 6778

3000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

३००० रु.

Rs 3000

सत्यमेव जयते

भारत

तीन हज़ार रूपये THREE THOUSAND RUPEES

हस्तान्तरणपत्र अधिकार पटटेदारी का अंकन 40,000/- रूपयाका

जिस पर स्टाम्प 4200/- रूपयाका अदाकियागाया है।

यह हस्तान्तरणपत्र आज दिनांक 23-7-83ई० स्थान गाजियाबाद और से श्री कौशलचन्द पुत्र श्री झम्मनलाल निवासी एस० जे०-94 शास्त्रीनगर गाजियाबाद तहसील वजिलागाजियाबाद बहैसियत मुख्तार आम ओर से श्री ओम प्रकाश सक्सैना पुत्र श्री रामचन्दर सक्सैना निवासी पी-23 नवीन शाहदरा देहली मुख्तार आम दिनांक 4-3-83ई० जिसकी रजिस्टरी कार्यालय सब रजिस्टार गाजियाबाद मे बहीनम्बर-4 जिल्द 285 केसफे 354 ता 356मे नम्बर 617 पर दिनांक 24-3-83 को दर्ज होकर हुई है जो आज दिन तक बदस्तूर कायम है फरीकअव्वल (जिन्हे आगे इस हस्तान्तरण पत्र मे विक्रेता कहा गया है) एवं श्रीमती गीतादेवी पत्नी अमीचन्दर वर्मा निवासी आर जी-319/सी देवीपुरासैकिन्ड बुलन्दशहर फरीकदोयम (जिन्हे आगे इस हस्तान्तरणपत्र मे क्रेता कहागया है) के मध्य कियागया है।

Kaushal Chand

गवाह

Jhammanlal S/o Late Naman Singh V.P.O. Shikarpur (BSR)

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

इस हस्तान्तरणपत्र मे विक्रेता एवं क्रेता व उनके उत्तराधिकारीगणव वैधानिक प्रतिनिधिगण व स्थानापन्न सम्मलित समझें जावेगे।

विदित होकि विक्रेता ने एक प्लाटनम्बर एस० एच०-171 (एक सौ इकहत्तर) क्षेत्रफल 166.15 वर्गमीटर ब्लाक एच० स्थितनिम्न सीमा सेक्टर-16 शास्त्रीनगर कालोनी गाजियाबाद तहसील वजिला गाजियाबाद, गाजियाबादविकास प्राधिकरण से बजरिये लीजडीड दिनांक 25-2-83ई० के द्वारा पटटे पर लिया हुआहै। उपरोक्त प्लाट का मानचित्र विक्रेता ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरणसे मानचित्र संख्या-110/ ई एच ए/83 दिनांक 25-3-83ई० को स्वीकृत कराकर उक्त प्लाटपर दो कमरें, किचिन व जीना व बाथरूम का निमार्ण किया जिनकी दीवारो पर प्लास्टर आदि नही है तथा फर्श आदिनहीं पडे हुये है और नाही उक्त सम्पत्ति मे लकडी का कार्य हो रहाहै। यानी उक्तसम्पत्ति इस समय अर्द्ध निर्मितहै। उक्त सम्पत्ति के अधिकारपटटेदारी विक्रेता आज दिन तकहरप्रकार केबन्धक भार सरकारी देनदारी आदि से सुरक्षितहै। उक्त सम्पत्ति के अधिकारपटटेदारी

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

को हस्तान्तरण आदि करने के मुख्तारआम मजकूर श्रीकौशलचन्द उक्त मुख्तारनामा के आधारपरअधिकारी हैं। उक्त सम्पत्ति अर्द्ध निर्मितहोने के कारण किसीकिराये आदिपर उठनेयोग्य नहीहै लेकिन अनुमानत: किराया 1500/- रुपया सालाना है उक्त सम्पत्ति पर नगर पालिका गाजियाबाद द्वारा कोई हाउसटैक्स नियत नहीहै। उक्त सम्पत्ति का कम्पीलेशन सार्टीफिकेट विक्रेता ने गाजियाबादविकास प्राधिकरण से पत्र संख्या मीमो दिनांक 23-6-83ई0 कोप्राप्त करलियाहै उक्त कम्पीलेशन के अनुसार उक्त सम्पत्ति का क्वर्ड एरिया 60 प्रतिशत वर्गफिट है। शेष सहनहै। उक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण कीअनुमतिके लिये एक प्रार्थनापत्र विक्रेता ने गाजियाबादविकास प्राधिकरण मे प्रस्तुत किया और गाजियाबाद विकासप्राधिकरण से इस आशय काप्रमाणपत्र संख्या-677 दिनांक 24-6-83 कोप्राप्त हुआकि भूखण्ड पर भवन निर्माण होने के पश्चात उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरण करने की

Kaushal Chand

गीतादेवी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

अनुमति देने मे प्राधिकरण कोकोई आपत्तिनहीहै। अत: मुझनिष्पादक ने अपनी खुशी रजामन्दीशुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियोंसे बिना किसी बहकाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये स्वेच्छाके साथ सालिम प्लाट उपरोक्त के अधिकार पटटेदारी मयमलवा अमला गर्ज कि जो कुछ भी मुतालिका उक्त सम्पत्ति के है उसको आज की बाजारी कीमत मे बदले अंकन 40,000/- चालीस हजाररूपयां आधी जिसके अंकन 20,000/- रूपया होतेहै के बदले परीक्दोयम क्रेताके पक्ष में हस्तानतिरित कर दियाऔर कुल धनराशि विक्रेता ने क्रेता से निम्न विवरण अनुसार प्राप्त कर लीहै। कोई धन क्रेता कीओर बाकी नहीरहाहै। सम्पत्ति उक्त के अधिकार पटटेदारी विक्रेता ने अपने से निकाल कर बीच अधिकार पटटेदारी क्रेता के दे दियाऔर क्रेताका कब्जा मौके पर पूर्ण व वास्तविक रूपसेकरादिया है। जिसकी क्रेता असल विक्रेताजैसी मालिक व स्वामी व पटटेदार बन गयीहै। क्रेता कोपूर्ण अधिकारहै कि जिस प्रकारचाहे अपने प्रयोग मे लाकर लाभउठावे, निर्माण आदिकरें, किसी को किराये परदें, अथवा स्वय रहे, उक्त सम्पत्ति को पूर्ण फिनिशिंग मे लावें अथवा हस्तान्तरण आदि करे कुछ आपत्ति नही होगी। गाजियाबादविकास प्राधिकरण के कार्यालय में क्रेता अपना नाम विक्रेताके स्थान पर दर्ज करालें इसमे जहां कहीं भी विक्रेता के हस्ताक्षरो वरजामन्दी की आवश्यकता होगी विक्रेतासहर्ष करेगा। आज तक के आयद होने वाले समस्त देयोंको अदा करने का दायित्व विक्रेतापर होगा। भविष्य मे आयद होने वाले समस्त देयों को अदा करनेका दायित्व क्रेतापर होगा। जिसपर मै विक्रेताआज तक गाजियाबादविकास प्राधिकरण के नियमो व अधिनियमों कापालन करता रहाहूं उसीप्रकार भविष

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

-5-

-य मे क्रेता पालन करेगी। यदि किसी अंशीदारया भागीदार या विक्रेता के किसीउत्तराधिकारी कीआपत्ति के कारण हस्तान्तरित सम्पत्ति क्रेता से निकलजावेगीतो क्रेताको पूर्ण अधिकारहोगा किवह अपना कुल रुपया मय सूद कानूनी मयहर्जा खर्चा विक्रेता ववारसान विक्रेताकीचल अचल सम्पत्ति सेनियमानु-र वसूल करेले। इस हस्तान्तरणपत्र का व्यय क्रेता ने सहनकिया है। पुराने सम्बन्धित समस्त कागजात हवाले क्रेताकर दिये गयेहै। अत:यहहस्तान्तरण पत्र लिख दिया कि प्रमाणरहे औरसमयपरकाम आवें।

सीमा हस्तान्तरित सम्पत्ति:-

पूरब- प्लाटनम्बर-168 पश्छिम- सडक 40फिट।

उत्तर- प्लाटनम्बर-172 दक्षिण- सडक 25फिट बादहूपार्क।

विवरण प्राप्ती अंकन 40,000/- रुपया

अंकन 40,000/- रुपया विक्रेता ने क्रेता से पेशगी वसूल पा लिये है।

Kaushal Chand गीतादेवी

दिनांक 23-7-83मसौदा गोपाल स्वरूप,दस्तावेजलेखक,गाजियाबाद।

टाइपकिया